

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

संख्या - 161/2019

निर्णय दिनांक :- 14.1.2021

दूनी प्रार्थना पत्र:-

1. प्रेमबाई पत्नी भंवरलाल जाति नाथ निवासी धुवांखुर्द तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. सीमा पुत्री भंवरलाल जाति नाथ निवासी धुवांखुर्द तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. ममता पुत्री भंवरलाल जाति नाथ निवासी धुवांखुर्द तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. मोहनलाल पुत्र छोगा जाति नाथ निवासी धुवांखुर्द तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. बिरदीलाल पुत्र छोगा जाति नाथ निवासी धुवांखुर्द तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. नन्दलाल पुत्र छोगा जाति नाथ निवासी धुवांखुर्द तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. शम्भू लाल पुत्र छोगा जाति नाथ निवासी धुवांखुर्द तहसील दूनी जिला टोंक राज0
8. धनपाल पुत्र छोगा जाति नाथ निवासी धुवांखुर्द तहसील दूनी जिला टोंक राज0
9. सम्पत बाई पुत्र छोगा जाति नाथ निवासी धुवांखुर्द तहसील दूनी जिला टोंक राज0
10. गलकू बाई पत्नी छोगा जाति नाथ निवासी धुवांखुर्द तहसील दूनी जिला टोंक राज0
11. मनोहर बाई पत्नी मोहनलाल जाति नाथ निवासी देव पब्लिक स्कूल के सामने वार्ड नम्बर 32 प्रेम नगर तृतीय, कोटा जिला कोटा राज0

-प्रार्थी पक्ष-

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

-अप्रार्थी पक्ष-


प्रार्थना-पत्र पत्थरगढी बाबत अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 60 खसरा 256 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 695 रकबा 2.59 है0 वाके ग्राम धुवांखुर्द तहसील दूनी जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है व पडोसी खातेदारों से विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नहीं है।

अतः जमाबन्दी सम्वत 2071-74 में अंकित खाता संख्या 60 खसरा 256 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 695 रकबा 2.59 है0 वाके ग्राम धुवांखुर्द की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार दूनी को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/- रू0 निर्धारित की जाकर एतत्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।


(भारत भूषण गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
देवली